

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, छतरपुर (पलामू)।



दाखिल खारिज अपील वाद संख्या- 03/2014-15

पार्वती देवी -.....आवेदक/अपीलार्थी।

बनाम

अवधेश कुमार सिंह-.....प्रतिवादी।

आदेश
(राष्ट्रीय लोक अदालत)

आदेश की क०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
12.12.20	<p>अभिलेख राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थापित। उभय पक्ष काफी लम्बी अवधि से अनुपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्ष को वाद निस्तार में कोई अभिरुचि नहीं है। साथ ही प्रतीत होता है कि समस्या का समाधान हो गया है। अतः आवेदक के आवेदन/ अपील आवेदन पर अग्रेतर कार्रवाई बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।</p> <p> सदस्य</p>	<p> भूमि सुधार उप समाहर्ता, छतरपुर (पलामू)।</p>

२०१२